

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2021 — चैत्र 6, शक 1943

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक 1206/पंजी 380/22-1/2021. — छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 01 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक AD0-7, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

1. नियम 9 क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“9-ख पंचायत निर्वाचक नामावली का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार निर्वाचक नामावली से समन्वय करना. (1) पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली, पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा चुनाव से संबंधित मतदान केन्द्रों की, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई प्रचलित निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के नामों को, पंचायतों के अनुसार बांट कर, तैयार की जायेगी.

- (2) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु जारी कार्यक्रम की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) के प्रकाशन की तिथि के पूर्व तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अद्यतन निर्वाचक नामावली को ही उप-नियम (1) के अधीन कार्य करने हेतु आधार बनाया जायेगा.
- (3) इस प्रकार उप-नियम (2) के अनुसार तैयार की गई निर्वाचक नामावली को, नियम 10 के अधीन दावा तथा आपत्ति आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जायेगा .”

2. नियम 11 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

- “(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ऐसे क्षेत्र, जो पंचायत क्षेत्र की सीमा में हो, की निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, किन्तु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 10 के अधीन प्रकाशित पंचायत की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट न किया गया हो या गलत स्थान पर अशुद्ध विशिष्टियां सहित प्रविष्ट किया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम सूची में सम्मिलित कर लिये जाने पर आपत्ति हो, नियम 10 के अधीन सार्वजनिक सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम दिन को अधिक से अधिक 3 बजे अपरान्ह तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित आवेदन देकर, दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और उसके पश्चात् प्रस्तुत कोई भी दावा या आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी :

परन्तु यह कि इस उप-नियम में अंतर्विष्ट विपरीत किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति भी, जिसका नाम संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संधारित निर्वाचक नामावली में ऐसी अवधि में, जो नियम 10 के उप-नियम (1) में उल्लिखित निर्वाचक नामावली की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) के प्रकाशन संबंधी कार्यक्रम प्रसारित होने की तिथि से, नियम 11 के उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त दावा तथा आपत्तियां, नियम 12 के अधीन निपटारा करने की अंतिम तिथि तक दर्ज कर लिया गया हो, पंचायत निर्वाचन की निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल करने के लिए इस नियम के अधीन दावा कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीर्थ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 12th March 2021

NOTIFICATION

No. 1206/R.No. 380/22-1/2021. — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, which the State Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Under Secretary, Panchayat And Rural Development Department, Govt. of Chhattisgarh, Room No. AD0-7, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. After rule 9-A the following shall be added, namely:-

- “9-B. Alignment of panchayat Voters List to the Voters List prepared by the Election Commission of India.-
- (1) The voters list for panchayat election shall be prepared by dividing, according to panchayats, the voters whose names appear in the current voters list prepared by the Election Commission of India, in respect of election booths of assembly elections falling within the panchayat area;
 - (2) The voters list as updated by the Election Commission of India till the date prior to the date of publication of the public notice issued by the State Election Commission for preparation of voters list, alone shall be the basis for action under sub-rule (1);

(3) The voters list prepared in accordance with sub-rule (2) shall be published for inviting claims and objections under rule 10.”

2. For sub-rule (1) of rule 11, the following shall be substituted, namely :-

“(1) Any such person whose name appears in the voters list published by the Election Commission of India in respect of the area falling within panchayat limits, but does not appear in the voters list published by the Registration Officer under rule 10, or whose name has been entered in the wrong place with incorrect particulars, or any person the inclusion of whose name is object to, may before 3.00 p.m. on the last date as specified in the public notice under rule 10, submit his claim or objection to the Registration Officer through an application duly signed by him in writing, and no claim or objection shall be accepted if submitted thereafter :

Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in this sub-rule, any person whose name has been included in the Voter List for the related assembly constituency maintained by the Election Commission of India, during the period from the date of publication of the public notice for Voter List under sub-rule (1) of rule 10, to the specified last date for disposal under rule 12, of claims and objections received under sub-rule (1) of rule 11, may also file application under this sub-rule for inclusion of name in the Voters List for panchayat election.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TIRATH PRASAD LADIYA, Deputy Secretary.